रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/92 REGISTERED NO. DL—33001/92

DIR-4

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1992 (पौष 5, 1914)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1992 (PAUSA 5, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate Paging is given to this Part is order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisments and Notices issued by Statutory Bodies]

NATIONAL HOUSING BANK

(Wholly owned by Reserve Bank of India)

Bombay-400023, the 17th June 1992

No. NHB. HFC, DIR. 4/CMD-92.—In exercise of the powers conferred by Sections 30 and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely:

1. Paragraph 3(iii) . After the words and figures, "the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or" the words and figures "the Small Industries Development Bank of India established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) or" shall be inserted.

2. Paragraph 4 . . After Explanation to Paragraph 4 (2) the following shall be inserted:
"(3) **Deposits in Joint names** : Where so desired, deposits may be accepted in joint names not exceeding three, with or without any of the causes, namely, "Either or Survivor", "number One or Survivor/s", "Anyone or Survivor/s".

3. Paragraph 7(1) . . After the words "each depositor" the words "or group of joint depositors" shall be inserted.

4. Paragraph 7(1) (a) . . After the words "depositor" the words "or group of joint depositors" shall be inserted.

5. Paragraph 8(1) (a) . . After the words "the depositor" the words "or group of joint depositors" shall be inserted.

6. Paragraph 8(1) (b) . . After the words "the depositors" the words "or group of joint depositors" shall be inserted.

7. Paragraph 8(2) . . After the words "the depositors" the words "or group of joint depositors" shall be inserted.

8. Paragraph 9 . . For the words "on and from 27th July, 1991, no Housing Finance Company shall:

(a) invite or accept or renew any deposit on a rate of interest exceeding fifteen percent per annum, which shall be applied at quarterly rests." the following shall be substituted, namely, "On and from June 17, 1992, no Housing Finance Company shall :

(b) invite or accept or renew deposit on a rate of interest exceeding fifteen percent perannum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests."

9. Paragraph 10 . . The existing proviso shall be substituted by the following:

"(i) No Housing Finance Company shall repay any deposit before the expiry of six months from the date of the deposit.

(ii) Where a Housing Finance Company at the request of depositor/s repays a deposit after the expiry of six months from the date of deposit, but before its maturity, it shall pay interest at the following rate:

(a) After six months but before expiry of twelve months	No interest.
(b) After twelve months but before expiry of twenty-four months	Not exceeding eleven percent per annum.
(c) After expiry of twenty-four months but before the date of maturity	One percentage point below the contracted rate.

Provided that in the event of death of a depositor, the deposit may be repaid prematurely to the surviving depositor/s in the case of joint holding with survivor clause, or to legal heir/s with interest at the contracted rate up to the date of repayment.

(iii) A Housing Finance Company may grant a loan up to seventy five percent of the amount of deposit to a depositor after the expiry of six months from the date of deposit at a rate of interest two percentage points above the interest rate payable on the deposit.

K. J. Reddy, Chairman

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में)

बम्बई—400023, दिनांक 17 जून 1992

आवास वित्त कम्पनी (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 1989

सं० एन० एच० बी० –एच० एफ० सी०–डी० आई० आर०–4/सी० एम० डी०–92—राष्ट्रीय आवास बैंक अधि–नियम 1987 (1987 का 53) की धारा 30 और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसको सामर्थ्यकारी बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 1989 में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाए : अर्थात् :—

1. पैराग्राफ 3 (iii)	"जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अथवा" शब्दों और अंकों के बाद "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 (1989 का 39) के अन्तर्गत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अथवा" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएं।
2. पैराग्राफ 4	पैराग्राफ 4 (3) के स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(3) संयुक्त नामों में जमा राशियां: जहां कहीं इच्छित हो तो जमा राशि "दोनों में से कोई अथवा उत्तर-जीवी", "पहला अथवा उत्तरजीवी" "कोई भी अथवा उत्तरजीवी" खण्डों के साथ या इसमें किसी भी खण्ड के बिना तीन से अनधिक संयुक्त नामों में स्वीकार की जा सकती हैं।

3. पैराग्राफ 7 (1) "प्रत्येक जमाकर्ता" शब्दों के बाद "अथवा संयुक्त जमाकर्ताओं के ग्रुप" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।

4. पैराग्राफ 7 (1) (क) "जमाकर्ता" शब्द के बाद "अथवा संयुक्त जमाकर्ताओं के ग्रुप" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।

5. पैराग्राफ 8 (1) (क) "जमाकर्ता" शब्द "अथवा संयुक्त जमाकर्ताओं के ग्रुप" शब्द अन्तः:स्थापित किए जाएं।

6. पैराग्राफ 8 (1) (ख) "जमाकर्ताओं" शब्द के बाद "अथवा संयुक्त जमाकर्ताओं के ग्रुप" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।

7. पैराग्राफ 8 (2) "जमाकर्ताओं" शब्द के बाद "अथवा संयुक्त जमाकर्ताओं के ग्रुप" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।

8. पैराग्राफ 9 "27 जुलाई, 1991 को और उस तारीख से कोई भी आवास वित्त कम्पनी :—

(क) पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की दर पर, जो तिमाही अन्तरालों पर लागू होगी, जमा राशि आमंत्रित अथवा स्वीकार नहीं करेगी" शब्दों के स्थान पर निम्न-लिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "17 जून, 1992 को या उस तारीख से कोई भी आवास वित्त कम्पनी :—

(क) पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की ब्याज दर पर जमा राशि आमंत्रित अथवा स्वीकार अथवा उसका नवीकरण नहीं करेगी। ब्याज की अदायगी कम से कम मासिक अन्तरालों पर की जा सकती है अथवा उसे चक्र-वृद्धि बनाया जा सकता है।"

9. पैराग्राफ 10 विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्न-लिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(i) कोई भी आवास वित्त कम्पनी किसी भी जमाराशि की, राशि जमा करने की तारीख से छः महीने की अवधि की समाप्ति से पहले चुकौती नहीं करेगी।

(ii) जहां कोई आवास वित्त कम्पनी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के अनुरोध पर जमाराशि की राशि के जमा करने की तारीख से छः महीने की अवधि की समाप्ति पर, परन्तु परिपक्वता से पहले चुकौती करती है तो वह ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दर पर करेगी :—

(क) छः महीने की समाप्ति के बाद परन्तु बारह महीने की समाप्ति के पहले	कोई ब्याज नहीं
(ख) बारह महीने की समाप्ति के बाद परन्तु चौबीस महीने की समाप्ति से पहले	11 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं
(ग) चौबीस महीने की समाप्ति के बाद परन्तु परिपक्वता की तारीख से पहले	संविदागत दर से एक प्रतिशत पाइंट कम

परन्तु जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर जमा रकम की चुकौती वापसी अदायगी की तारीख तक संविदागत ब्याज दर पर देय ब्याज सहित, उत्तरजीवी खण्ड के साथ संयुक्त धारक के मामले में उत्तरजीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं को अथवा कानूनी वारिस/वारिसों को परिपक्वता अवधि से पूर्व की जा सकती है।

(iii) आवास वित्त कम्पनी किसी जमाकर्ता को राशि जमा करने की तारीख से छः महीने की समाप्ति के बाद, जमाराशि पर देय ब्याज की दर से दो प्रतिशत प्वाइंट अधिक ब्याज दर पर, जमा राशि के 75 प्रतिशत तक की रकम का ऋण प्रदान कर सकती है।"

के० जे० रेड्डी,
अध्यक्ष

सेना बैंक